देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/25 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 12 अक्तूबर 2020

जे.डी.ए. की नयी जीरो टोलरेंस निति!अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर सख्ती का नया प्लान या पारदर्शिता और जवाबदेही के खात्मे की सुनियोजित साजिश??

अवैध रूप से बस रही कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण

कृषि भूमि के बस रही अवैध कॉलोनियों पर जेडीए की सख्ती

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. शहर के बाहरी इलाकों में अवैध रूप से कृषि भूमि में बस रही कॉलोनियों पर जेडीए सख्त कार्रवाई करेगा। कृषि भूमि का बिना नियमन आवासीय उपयोग करने पर जेडीए खातेदार के खिलाफ राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही उप खंड अधिकारी से खातेदारी निरस्त करने की अपील करेगा। सितम्बर से अब तक जेडीए 21 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण कर चुका है। शुक्रवार को मंथन सभागार में हुई बैठक में जेडीसी गौरव गोयल ने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खर्चा भी वसूल किया जा रहा है। 15.12 लाख रुपए अब तक वसूल किया गया है।

तीन तरीके : रोकेंगे अवैध निर्माण

1 प्रथम श्रेणी: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस के साथ कार्रवाई होगी।

2 द्वितीय श्रेणी: व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग बॉयलॉज के विरुद्ध निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।

3 तृतीय श्रेणी: निजी आवासों में नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों से अवैध निर्माण नहीं करने के लिए समझाइश की जाए।

ये नया काम

- जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद भूमि पर तारबंदी होगी।
- अतिक्रमणों को समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम एनालिस्ट जल्द विकसित किया जाएगा।

अब तक सर्वाधिक

- एक वर्ष में प्रवर्तन शाखा ने 1091 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
- इसी वर्ष में 290 प्रकरणों में 1200.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया।
- सितम्बर से अब तक 144 बीघा पर 21 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका।

राज.पत्रिका में दिनांक 10/10/20 को प्रकाशित खबर से साभार

जेडीए का अब जीरो टॉलरेंस • बैठक में महत्वपूर्ण फैसला

अतिक्रमण की 3 कैटेगरी; व्यावसायिक, सरकारी इमारत और आवास पर अवैध निर्माण

इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर

शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए जेडीए ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए ने शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण को रोकने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रवर्तन शाखा को जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।

कॉर्डिनेशन से काम करेगी जोन और प्रवर्तन शाखा, एसओएस सिस्टम डवलप होगा: जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि कई मामलों में जोन और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के बीच कॉर्डिनेशन नहीं होने से मामले का निस्तारण नहीं हो पाता ऐसे में जोन और प्रवर्तन शाखा के बीच कॉर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य नियंत्रक प्रर्वतन रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एसओएस यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इससे स्टेप-टू-स्टेप काम होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर तारबंदी और बाउंड्रीवाल बनाने के टेंडर जारी होंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और रिहायशी आवास पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति निर्धारित होगी।

शहर में अवैध निर्माण; अब होगी सख्त कार्रवाई

- **पहली कैटेगरी** – सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निर्माणा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी।
- **दूसरी कैटेगरी**– व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण, समुचित पार्किंग सुविधा, भवन निर्माण में 60:40 अनुपात की पालना, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर आदि नियमों को पूरी तरह से पालना होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- **तीसरी कैटेगरी** – निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश होगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।

दैनिक भास्कर में दिनांक 10/10/20 को प्रकाशित खबर से साभार

आपने 10/10/2020 के प्रमुख अखबार ध्यान से पढ़े होंगे परन्तु दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में छपी इन ख़बरों को नजरअंदाज कर दिया होगा क्यूंकि आम जन के लिए यह सामान्य खबर है,अब आप भी मेरे से पूछेंगे कि भाई आखिर बताओ तो इसमें आखिर ऐसी क्या बात है?यह तो अच्छा ही होगा कि शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने में तेजी आएगी|परन्तु आप को बता दें कि इस व्यवस्था से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर तो शायद ही आंच आये परन्तु जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा के कार्यकरण में बची-कुची पारदर्शिता और जवाबदेही जरूर ख़त्म कर दी जायेगी|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है जे.डी.ए. की नयी टोलरेंस निति और कैसे फेल होगी यह व्यवस्था?

कैसे रोकेंगे कृषि भूमि पर बसने वाली अवैध कोलोनियों को?जबकि राज्य सरकार ने दे रखे है इन्हें नियमित करने के आदेश!!

जे.डी.ए. के अनुसार शहर के बाहरी इलाकों में अवैध रूप से कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कोलोनियों पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही की जाएगी|जिसके तहत सम्बंधित उपखंड अधिकारी के यहाँ खातेदारी निरस्त करने की अपील की जाती है|अब सवाल यह है कि जे.डी.ए. से खुद के जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल के मामले ही नहीं संभले जाते फिर उपखंड अधिकारी के कार्यालय में अपील की पैरवी कैसे सुनिश्चित की जायेगी?

इस बडबोली निति में सबसे बड़ा पेच यह है कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसने वाली अवैध कोलोनियों को नियमित करने के आदेश जारी कर रखे है,साथ ही नगरीय निकायों को इस आदेश के प्रचार प्रसार के आदेश और दे रखे है,अब जे.डी.ए. स्पष्ट करें कि वह कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कोलोनियों पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करेगा या राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में इन्हें नियमन कर पट्टे देने का कार्य करेगा?

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.03(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक:– 11 FEB

:: आदेश ::

1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व तथा 17.06.1999 के पश्चात कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट दिनांक 31.12.018 तक बढ़ाने तथा पट्टे के लिए आवेदन करने की दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाने की मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 7/2020 द्वारा स्वीकृत करते हुये अनुमोदन किया गया है। अतः कृषि भूमि पर बसी हुई दिनांक 17.06.1999 से पूर्व एवं पश्चात् की स्वीकृत एवं स्वीकृत की जानेवाली योजनाओं, जिनमें भूमि/भूखण्डो का हस्तानान्तरण दिनांक 31.12.2018 तक हो चुका है। नियमन हेतु आवेदन दिनांक 31.12.2020 तक किया जा सकेगा। उनमें निम्न प्रकार कार्यवाही की जावे –

2. 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणः–
   (i) कृषि भूमि पर बसी हुई स्वीकृत कॉलोनियों मे ऐसे भूखण्ड जिनका दि. 31.12.2018 तक जितनी भी बार पंजीकृत या अपंजीकृत बेचानों या इकरारनामों के आधार पर हस्तान्तरण किया जा चुका है, का नियमन किया जा सकेगा। पंजीकृत इकरारनामे के मामलें मे प्रचलित दर पर केवल प्रीमियम शुल्क लिया जाकर नियमन किया जा सकेगा, और अपंजीकृत इकरारनागो के मामले में प्रचलित दर पर प्रीमियम तथा इसके अतिरिक्त प्रीमियम की 15 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में वसूल की जाकर अंतिम क्रेता को नियमन कर पट्टे जारी किये जावें।
   (ii) 17.06.1999 से पूर्व की योजनाएँ जो स्वीकृत नही हैं उनमें भू–राजस्व अधिनियम कि धारा 90–क (8) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प 2 (7) नविवि/नियम /2018 दिनांक 18.07.2018 के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित अपनाते हुए पंजीकृत इकरारनामे के मामले में प्रचलित दर पर केवल प्रीमियम शुल्क लिया जाकर नियमन किया जा सकेगा, और अपंजीकृत इकरारनामो के मामले में प्रचलित दर पर प्रीमियम तथा इसके अतिरिक्त प्रीमियम की 15 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में वसूल की जाकर अंतिम क्रेता को नियमन कर पट्टे जारी किये जावें।

3. 17.06.1999 के पश्चात के प्रकरण :–
   (i) कृषि भूमि की स्वीकृत कॉलोनियों जिनमें पंजीकृत व अपंजीकृत बेचानों या इकरारनामों के प्रकरणों में निर्धारित प्रीमियम और नगरीय निर्धारण (लीज रेंट) की राशि के अतिरिक्त शास्ति राशि निम्न प्रकार वसूल कर अंतिम क्रेता को नियमन कर पट्टे दिये जावें–
      (अ) यदि भूखण्ड का हस्तानान्तरण मूल खातेदार से पंजीकृत विक्रयनामा के जरिये हुआ है, तो शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत राशि के समान होगी।
      (ब) यदि भूखण्ड का हस्तानान्तरण अपंजीकृत बेचानो या इकरारनामों के आधार पर हुआ है, तो अंतिम क्रेता से शास्ति की राशि प्रीमियम राशि के 50 प्रतिशत के समान होगी।
   (ii) कृषि भूमि की दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की योजनाएँ जो स्वीकृत नही हैं, उनमें भू–राजस्व अधिनियम कि धारा 90–क (5) एवं 91, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3 (54) नविवि/3/2011 पार्ट दि. 29.12.2012, 23.07.2015 व 02.05.2016 एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 2 (7) नविवि/नियम/18 दिनांक 18.07.2018 के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग बिना पूर्व स्वीकृति के किये जाने पर मूल खातेदार या उसके पश्चातवर्ती हस्तान्तरिती या हस्तान्तरितियों (Transferees), यदि हो, को अतिक्रमी मानकर धारा 91 के साथ पठित धारा 90–क के प्रावधानों के तहत उसे बेदखल घोषित करके भूमि जब्त करने के स्थान पर काबिज व्यक्तियों को ऐसी शास्ति, जो विहित की जावें के भुगतान पर तथा धारा 90–क की उपधारा (4) में वसूलनीय नगरीय निर्धारण (लीज रेंट) एवं प्रीमियम की राशि के भुगतान पर भूमि यथावत रखने और उसकी यथावत उपयोग किये जाने की अनुमति के साथ नियमन/आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया जा रहा है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नही करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तान्तरिती/हस्तान्तरितियो (Transferees) ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणो में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपठित धारा 90–क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये भूखण्डधारी व्यक्ति को एवं मूल खातेदार को विहित प्रारूप में नोटिस जारी करेगा एवं सुनवाई का अवसर देते हुए यथोचित आदेश पारित करेगा। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (अतिक्रमी की बेदखली) नियम, 1975 में नोटिस का प्रारूप तथा प्रक्रिया विहित की हुई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (5) मे बिना अनुमति कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के लिये किये गये निर्माण की सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होने पर उस के सम्बन्ध में धारा 91 के तहत बेदखली आदेश की औपचारिकता पूर्ण कर ऐसे निर्माण को नियमित किया जा सकेगा। इस हेतु मूल खातेदार एवं भूखण्डधारी दोनो को 7 दिवस का नोटिस जारी किया जावे, इसके साथ ही राज्य स्तरीय किसी एक समाचार पत्र में भी 7 दिवस का अवसर देते हुये सूचना प्रकाशित कराई जावे। ऐसे मामलो का नियमन किये जान पर उक्त धारा 90–क की उपधारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम और नगरीय निर्धारण (लीज रेंट) की राशि के साथ पंजीकृत तथा अपंजीकृत दस्तावेजो में क्रमशः (अ) व (ब) के अनुसार राशि वसूल कर अंतिम क्रेता को नियमन कर पट्टे दिये जावें।

4. कृषि भूमि पर बसी हुई स्वीकृत योजनाओं को जोनल डवलपमेंट प्लान में कमिटमेंट मानते हुए समायोजित किया जावे।
5. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट याचिका 1554/2004 दिनांक 12.01.2017 को गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे दिये गये निर्णय अनुसार एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने के पश्चात ही कृषि भूमि पर बसी हुई योजनाओं को स्वीकृत करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
6. अपंजीकृत दस्तावेजों के प्रकरणों में जितनी बार भी हस्तान्तरण हुआ है, अन्तिम क्रेता के पक्ष में जारी किये गये नियमन पटटा विलेख मय अपंजीकृत दस्तावेजों की प्रति के साथ पंजीयन हेतु सम्बन्धित उप पंजीयक कार्यालय को भिजवाना होगा।

जनहित में उक्त आदेशों का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक कर नियमन के पट्टे जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11/02/20 जिसमे कृषि भूमि पर बसी कोलोनियों को नियमित कर पट्टे देने के आदेश दिए गए है|जे.डी.ए. इन कोलोनियों को बसायेगी या उजाड़ेगी??

प्रथम श्रेणी;सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की निति कैसे कारगर?? जबकि धारा 72 के अधिकांश मामले जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल में लंबित,जिन पर फैसला आ गया है उनकी क्रियान्विति नहीं|

इस मीटिंग में श्रीमान जे.डी.सी. साहब ने बड़े गर्व के साथ प्रथम श्रेणी के बारे में बताया कि अब सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की निति अपनाई जायेगी यह पढ़ते ही एक दृश्य मेरी आँखों के सामने सजीव हो गया कि जैसे मुख्य नियंत्रक महोदय को खबर लगेगी कि फलां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है वो तुरंत JCB और तोड़-फोड़ दस्ते को आदेश देंगे कि, जाओ और 4 घंटे में अतिक्रमण हटा कर मुझे रिपोर्ट करों| और तोड़-फोड़ दस्ता तुरंत जाकर 4 घंटे की बजाय 3 घंटे में कार्यवाही कर हुकुम को सूचित करेगा|

परन्तु आपको क्या लगता है कि यह संभव है?जी नहीं,यह केवल हवाई किले है जिसे एक अधिकारी विशेष द्वारा जे.डी.सी. महोदय को दिखाए जा रहे है,यदि यह संभव है तो क्या मुख्य नियंत्रक महोदय विगत 3 साल में यह डेटा प्रस्तुत करने की हिम्मत रखते है की जे.डी.ए. के सभी जोनो द्वारा धारा 72 (सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही) के कितने नोटिस दिए है और उनमे से कितनों के अतिक्रमण आज की तारीख में हटा दिए गए है?यदि जे.डी.सी. महोदय या अन्य कोई जिम्मेदार अधिकारी यह डेटा मंगवा ले तो जीरो टोलरेंस निति बनाने वालों की हवा टाईट हो जाएगी|हकीकत में ऐसे सैकड़ों मामले जिनमे जे.डी.ए. द्वारा धारा 72 के नोटिस दिए गए है वो कई सालो से जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल की धुल फांक रहे है|कईयों में सुनवाई पूरी नहीं हुई कईयों में कार्यवाही करने के आदेश आने के बाद भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई|दरअसल यह सब माल बटोरने का तरीका है जिसके लिए सम्बंधित ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध अतिक्रमी को धारा 72 का नोटिस दिया जाता है और उससे जवाब माँगा जाता है, और कार्यालय में आने की नसीहत दी जाती है,जैसे ही अवैध निर्माणकर्ता कार्यालय के संपर्क करता है प्रवर्तन अधिकारी साहब अपनी सेवा बता कर चले जाते है,इसी के साथ ज़ोन का बाबु उसे ट्रिब्यूनल से स्टे लेने की नसीहत दे देता है साथ ही वकील साहब का नम्बर भी,बाबू की इस भली राय और सेवापरायणता से खुश होकर अवैध निर्माणकर्ता बाबू की जेब भी गरम कर जाता है और मामला ट्रिब्यूनल में चला जाता है|इसके साथ ही ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है और अफसर जब भी पूछते है तो मामला लंबित बता कर जान छुड़ा लेता है|इस प्रकार इस सेवा में माल तो मिलता ही है काम भी नहीं करना पड़ता और अवैधनिर्माणकर्ता की बददुआ भी महोदय को नहीं लगती|

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

भाग-1

अवैध निर्माणों के विरुद्ध आम जन का अभियान मास्टर-प्लान

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

राजस्थान पत्रिका

अजमेर रोड का मामला...

मंत्री की भी परवाह नहीं, क्षेत्र में अभी तक अतिक्रमण पसरे

जेडीए नहीं कर रहा कार्रवाई, रसूखदार हैं हावी

ट्रिब्यूनल के आदेश को एक साल से दबाये बैठा है जे.डी.ए.

नहीं हटा रहा सोढानी स्वीट्स,अंग्रेजी शराब समेत बीस दुकानों का अवैध निर्माण

सुशीलपुरा पुलिया से पुरानी चुंगी(श्मशान) तक सड़क सीमा में बनी हुए है 20-20 अवैध दुकाने

3 वर्ष में कुछ नहीं कर पाया जेडीए...

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12/04/17 को प्रकाशित खबर से साभार

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सम्पादिकार@www.jawabdosarkar.com

सुशीलपुरा पुलिया से लेकर पुरानी चुंगी तक की करीब बीस दुकानों ने 160 फीट चौड़ी अजमेर रोड पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे तोड़ने के लिए 4 साल से भी अधिक समय पहले इन सब दुकानमालिकों को जे.डी.ए. द्वारा धारा 72 के अंतर्गत नोटिस दिया गया था|परन्तु 4 साल बाद भी ढाक के तीन पात;यह अवैध दुकाने कानून और जे.डी.ए. को मुँह चिढ़ाती नजर आती है|ज़ोन-5 के प्रवर्तन अधिकारी श्री अशोक सैनी CM पोर्टल पर झूठ बोलकर परिवाद बंद कर देते है|क्या यह है जीरो टोलरेंस निति?

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 224वीं बैठक दिनांक 30.01.2020 के कार्यवाही विवरण

4. एजेण्डा नम्बर 224.4 (30.01.2020)(जोन–04):–

विषयः– भूखण्ड संख्या 04, आश्रम मार्ग, पी.डब्ल्यू.डी. चौकी, बी–2 बाईपास/टोंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रार्थीः– श्री राज चड्ढा, अधिकृत प्रतिनिधि फॉर जयपुर सेन्ट्रल डवलपर्स प्रा.लि. पूर्व एच.वी.होटल्स प्रा.लि.।

प्रकरण के तथ्यः–

पूर्व में प्रकरण को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु बीपीसी–बीपी की 204वीं बैठक दिनांक 06.07.2018 में प्रस्तुत कर 31.36 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्रों का अनुमोदन किया गया जिसमें भवन में रेस्टोरेन्ट/बार संचालित हैं जिसका क्षेत्रफल 803.15 वर्गमीटर बनता हैं, जिस पर बिना अनुमति निर्माण की राशि शास्ती ली गई तथा भवन मानचित्र दिनांक 11.09.2018 को जारी किये गये।

वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा दिनांक 29.11.2019 को मय जाँच शुल्क के पुनः संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया हैं। वर्तमान में प्रस्तावित संशोधन अनुसार प्रथम एवं द्वितीय तल पर कॉरीडोर की चौड़ाई को कम किया गया हैं। कुछ नया निर्माण प्रथम एवं द्वितीय तल पर प्रवेश के ऊपर कट–आउट में प्रस्तावित किया गया हैं। चौथे तल पर पूर्व में स्वीकृत 2 मीटर के कॉरीडोर को बन्द कर ऑफिस में शामिल करते हुए सीढ़ियों तक जाने हेतु अन्य स्थान पर 1.5 मीटर चौड़ा कॉरीडोर मौके पर छोड़ा गया हैं। पाचवे तथा छठवें तल पर कॉरीडोर क्षेत्र को कवर्ड करते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विकासकर्ता द्वारा भवन मानचित्र प्रस्तुत किये जाने के साथ–साथ ही श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर जवाब दो सरकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 06.12.2019 एवं एडवोकेट श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा शिकायत दिनांक 15.12.2019 मय संलग्नकों प्रस्तुत कर बताया गया कि भवन के पांचवें एवं छठवें तल पर गलियारों में अतिक्रमण कर लिया गया हैं जिसके संबंध में कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 22.11.2019 की प्रति भी शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उक्त नोटिस अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर के निरीक्षण कर नोटिस में निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः–

"निरीक्षण के दौरान आपके भवन/उपक्रम में उक्त स्थल की फायर अनापत्ति तो ले रखी हैं, पर इस बिल्डिंग की पांचवी एवं छठवीं मंजिल के दो गलियारों पर निर्माण करवा लिया जाना पाया गया हैं जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों का बचना नामुमकिन सा हो गया हैं। अतः उक्त दोनों मंजिल के गलियारों को बाधारहित/निर्माण को हटाया जावें जिससे आपातकालीन स्थिति में कोई जनहानि ना हो___। उक्त शिकायत के क्रम में बीपीसी–बीपी के अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि विकासकर्ता द्वारा पांचवी एवं छठवीं मंजिल पर आन्तरिक परिवर्तन करते हुए कॉरीडोर क्षेत्र को खत्म कर दिया गया हैं तथा रूफटॉप रेस्टोरेन्ट पर दो कमरों का निर्माण भी बिना स्वीकृति के किया गया हैं जिससे भवन की ऊँचाई लगभग 33 मीटर हो गई हैं। पांचवी एवं छठवीं मंजिल पर आन्तरिक परिवर्तन करते हुए कॉरीडोर क्षेत्र को खत्म करने से श्री आर.पी. शर्मा जिनका केबिन पांचवें तल पर हैं, के सामने तो कॉरीडोर खुला हैं, किन्तु जनसुविधाओं (Toilets) की दूरी बढ़ गई हैं।

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 22.11.2019 के अनुसार "निरीक्षण के दौरान आपके भवन/उपक्रम में उक्त स्थल की फायर अनापत्ति तो ले रखी हैं, पर इस बिल्डिंग की पांचवी एवं छठवीं मंजिल के दो गलियारों पर निर्माण करवा लिया जाना पाया गया हैं जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों का बचना नामुमकिन सा हो गया हैं। अतः उक्त दोनों मंजिल के गलियारों को बाधारहित/निर्माण को हटाया जावें जिससे आपातकालीन स्थिति में कोई जनहानि ना हो___। जबकि विकासकर्ता द्वारा कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 16.10.2019 को जारी अभिशंषा पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई हैं जिसमें आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही और कार्यशील अवस्था में पायें गये।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्रस्तावित संशोधनों के परिपेक्ष्य में समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः– *एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 22.11.2019 में उठायें गये बिन्दुओं के संबंध में भवन में पूर्व में स्वीकृत व आपातकालीन स्थिति हेतु कॉरीडोर के संबंध में वैकल्पिक प्रस्ताव व अग्निशमन हेतु नवीन अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के तदोपरान्त विकासकर्ता से प्राप्त संशोधित भवन मानचित्रों का परीक्षण पश्चात् भवन मानचित्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।*

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

द्वितीय श्रेणी;व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में बिल्डिंग बायलाज के विरुद्ध निर्माण किसी भी सूरत में नहीं,परन्तु जे.डी.सी. महोदय को मालुम नहीं है कि जिसे प्रवर्तन अवैध करार देता है जे.डी.ए. की बी.पी.सी. के अति मुख्य नियोजक महोदय उसे अतिरिक्त निर्माण करार देकर नक़्शे संशोधित कर, नियमित कर देते है|

चलिए अब दूसरी केटेगिरी की बात करते है ,जे.डी.सी. महोदय ने बड़े हर्ष के साथ सूचित किया कि अब व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में नियम विरुद्ध निर्माण,समुचित पार्किंग सुविधा,भवन निर्माण में 60:40 अनुपात की पालना,फायर फाईटिंग सिस्टम आदि नियमों की पूरी तरह पालना होगी,नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही होगी|यह सुनकर तो मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ कि बिल्डरों के तलवे चाटने वाला कोई जे.डी.ए. का अधिकारी यह काम भी कर सकता है,आप को भूखंड संख्या 4,पी.डब्ल्यू.डी. चौकी,बी-2 बाईपास पर स्थित जयपुर सेंटर की 5th और 6th फ्लोर पर बने अवैध कोरिडोर का मामला तो याद होगा जिसे प्रवर्तन शाखा द्वारा अवैध करार देते हुए धारा 32 का नोटिस और विधिक नोटिस जारी किया गया था परन्तु बी.पी.सी. के अधिकारीयों से सांठ गाँठ के चलते बड़े शालीन शब्दों में अतिरिक्त निर्माण बता कर नक़्शे संशोधित कर दिए गए थे|रही बात फायर फाईटिंग सिस्टम और पार्किंग की तो जे.डी.सी. महोदय को याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले

बजाए इंजीनियरिंग कर रही होती। दिन से पकड़ में मन ही नहीं लग रहा।

सूरत अग्निकांड से सबक • 153 रेस्त्रां-कोचिंग को नोटिस

बिना सुरक्षित एंट्री-एग्जिट चल रहे हैं रूफटॉप रेस्त्रां और कोचिंग सेंटर

इनपुट रिपोर्टर | जयपुर

पहले मुंबई और फिर मई 2019 में सूरत में रूफटॉप रेस्टोरेंट में हुए भयानक हादसे से सबक लेते हुए जेडीए ने रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की ठानी है। बुधवार को एक साथ ऐसे 153 संस्थानों को

पहली बार... जेडीए का डिटेल सर्वे चेतावनी दी कि 7 दिन में सुधर जाएं

आगे इनकी बारी...फिलहाल जेडीए जोन 1 से 8 तक में

साल समान निति के तहत कार्यवाही करते हुए इन्ही मुख्य नियंत्रक महोदय द्वारा कोचिंग संचालकों,रूफ टॉप संचालको के साथ इसी मंथन

भूखंड संख्या 4,पी.डब्ल्यू.डी. चौकी,बी-2 बाईपास पर स्थित जयपुर सेंटर में हो रही अनियमितताओं को उजागर करती श्रंखला

(xxii) The suggestions made by the AAG for strengthening the enforcement of Building By-laws in the municipal areas and to check the unauthorised constructions as reproduced in para no.42 of this order, shall be enforced by all the local authorities of the State.

strengthened and for that purpose, learned AAG has suggested the measures to be taken as under:

"(1) Whole urban area be divided into zones of manageable sizes.

(2) For each zone a building inspector or junior engineer shall be designated. Copies of all the approved building plans and scheme layout plans shall be sent to him immediately after approval.

(3) A report in writing in prescribed format shall be submitted by the designated in charge of the zone, stating the list of plots/area where construction is going on, list in which construction is as per approval and list of violation during the construction in their zone with details of violations and photographs. A register of such reports shall also be maintained.

(4) Such reports shall be submitted to Zone Commissioner and JDC in case of Development Authority, Secretary, UIT and to Deputy Secretary UDH in case of UIT's, and to EO Municipality and Deputy Director Local Bodies in case of Municipalities in every 15 days (twice in a month).

(5) On receipt of these reports action shall be initiated against the violations by the concerned authorities, which should be monitored regularly by higher authorities. Action taken report monthly shall also be submitted to higher authority regularly.

(6) Every local body should operate a citizen grievances link on its website, on which citizens may send report of violations. Action taken on such public grievances shall also be put on public domain."

सभागार में वार्ता की गयी थी और उन्हें फायर फाईटिंग सिस्टम और पार्किंग की व्यवस्था करने की समझाईश की थी,इस प्रक्रिया में जे.डी.ए. द्वारा कई कोचिंग संचालकों,रूफ टॉप संचालको को धारा 32 के नोटिस भी दिए गए थे,परन्तु इनका हश्र आपके सामने है, जे.डी.ए. द्वारा आज तक किसी कोचिंग संसथान या रूफ टॉप के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी|

अब जे.डी.सी. महोदय को कौन समझाए कि यह जे.डी.ए. है,यहाँ उसी की तूती बोलती है जिसकी जेब में माल होता है,यहाँ यदि वैध को अवैध करना आता है तो अवैध को वैध करना भी आता है|यदि महोदय को मेरी इस बात में संशय हो तो खुद फाईल मंगा कर तहकीकात कर ले,दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा|इसलिए इस दूसरी केटेगिरी पर कोई काम होगा उम्मीद नहीं है|

तीसरी केटेगिरी;निजी आवासों में नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों से अवैध निर्माण नहीं करने के लिए समझाईश होगी या फिर डील?

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी मामले में दायर जन हित याचिका में अवैध निर्माणों को सील/ध्वस्त करने के दिए है आदेश|

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004;गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दायर जन हित याचिका में अपने आदेश संख्या 22 में AAG द्वारा अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को रोकने हेतु सुझाये गए 6 उपायों की पालना सुनिश्चित कर, अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को सील/ध्वस्त करने के आदेश दिए है साथ ही ज़ोन में अवैध निर्माण ना हो इसकी जिम्मेदारी भी तय करने के आदेश दिए है|परन्तु अफ़सोस की बात है कि आज दिनांक तक जे.डी.ए. के अधिकारियों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया है|उल्टा नए नए नियम बना कर आम जन को गुमराह अवश्य किया जा रहा है|

जे.डी.ए. एक्ट में नहीं है दोनों शब्द;

भास्कर की खबर के अनुसार प्रवर्तन शाखा तीसरी केटेगिरी के अनुसार निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने की समझाईश की जाएगी ,आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार बार शिकायत करने पर पहले निरिक्षण कर जांच की जाएगी,नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी|इस वक्तव्य में दो शब्द ख़ास है पहला **" आदतन शिकायतकर्ता"** और दूसरा **" समझाईश"**

यदि आप जे.डी.ए. एक्ट का गहनता से अध्ययन करेंगे तो इन दोनों शब्दों " आदतन शिकायतकर्ता" और दूसरा " समझाईश" का कहीं जिक्र नहीं है,फिर माननीय मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय इन शब्दों की बाराखड़ी क्यों बोल रहे है?आइये आपको इन शब्दों को चलन में लाने का कारण बताते है|

गौरतलब है कि पुलिस थानों में जहाँ इन पुलिस अधिकारियों को कानून की सैकड़ों धाराओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है वही जे.डी.ए. में केवल 4 धाराओं जैसे धारा 32,33,34 और 72 के अंतर्गत ही काम करना होता है|इन धाराओं में भी इनका काम केवल कानून की

पालना करवाना अथार्थ यदि मौके पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण है तो उन्हें सील करना या ध्वस्त करना ही इनकी इकलौती जिम्मेदारी है|क्यूंकि अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के चिन्हीकरण,मौका परिक्षण,रिकॉर्ड मिलान,जवाब परिक्षण आदि समस्त कार्य सम्बंधित ज़ोन के पटवारी,JEN,ATP आदि अधिकारीयों द्वारा किया जाता है,परन्तु इसके बावजूद पुलिस थानों से आये अधिकांश भ्रष्ट अधिकारी अपने अनुभवों,पुलिसिया रौब से अपना हित साधते हुए अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को सील/ध्वस्त करने में रोड़ा अटकाने में कामयाब हो जाते है|

आदतन शिकायतकर्ता खालिस पुलिसिया शब्द है जिसका इस्तेमाल पुलिस के निचले कर्मचारी किसी शिकायत पर जान छुड़ाने के लिए करते है,अमूमन थानों में जब किसी फरियादी की नहीं सुनी जाती तो वो कलम,कागज उठाकर प्रधानमंत्री से लेकर थाने के सिपाही तक को अपना दुखड़ा रोने लगता है जिसके लिए थाने का जांच अधिकारी सम्बंधित परिवादी को आदतन शिकायतकर्ता बता कर अपने आला अधिकारीयों को जवाब देता रहता है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं करता|ऐसे ही मामले जे.डी.ए. में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध आते है जिसमे शिकायतकर्ता कार्यवाही नहीं होने पर ACD,प्रधानमंत्री,लोकायुक्त जहाँ तक उसकी सोच और समझ होती है अपनी व्यथा सुना देता है ,यह चिट्ठियाँ घूमफिर कर प्रवर्तन अधिकारी के पास आती है|अब चूँकि प्रवर्तन अधिकारी को कोई कार्यवाही तो करनी नहीं होती क्यूंकि उसने माल जो बटोर लिया होता है|अतः शिकायतकर्ता को आदतन शिकायतकर्ता बता कर अपने आला अधिकारीयों को संतुष्ट कर देता है,अब चूँकि आला अधिकारी भी इस आदतन शिकायतकर्ता शब्द से परिचित होते है लिहाजा वह भी परिवाद पर ध्यान देना बंद कर देते है औरबेचारा शिकायतकर्ता चिट्ठियाँ लिख लिख कर ही अपने मन को तसल्ली देता रहता है|

दूसरा शब्द है **समझाईश** आपको बताना चाहूँगा कि यह भी निहायत पुलिसिया शब्द है जिसका प्रयोग अमूमन स्थानीय पुलिस द्वारा छोटे-मोटे आपसी झगड़ों को ख़त्म करवाने,सुलह करवाने में किया जाता है|चूँकि समझाईश करने से भी उसे दोनों पक्षों से माल मिलता है अतः इस शब्द को जे.डी.ए. के आला अधिकारीयों के साथ बोलचाल में चलन में लाने के लिए, बार बार उपयोग किया जा रहा है,इस समझाईश से दो फायदे होंगे पहला अवैधनिर्माणकर्ता के पास जाने और डील करने की सरकारी परमिशन मिल जायेगी दूसरा रिश्वतखोर प्रवर्तन अधिकारी ACD से बच जाएगा क्यूंकि वह तो सरकारी समझाईश कर रहा है|

क्या होती है गोस्वारा रिपोर्ट और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट?

प्रवर्तन शाखा में प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों की साप्ताहिक और मासिक मोनिटरिंग की जाती है,साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट में सम्बंधित प्रवर्तन ज़ोन से सम्बंधित ध्वस्तीकरण,सीलिंग,सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त,नोटिस अंतर्गत धारा 32,33,34,72,डी.टी.एस.प्रकरण,राजस्थान संपर्क पोर्टल,लोकायुक्त/मानवाधिकार प्रकरण,न्यायिक प्रकरण-जवाब पेश,अवमानना प्रकरण,विधानसभा प्रश्न,सुचना का अधिकार,जुर्माना,चालान आदि मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है|

वहीँ मासिक रिपोर्ट के लिए गोस्वारा रिपोर्ट के तीन प्रफोर्मा प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मासिक रूप से भर कर अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाते है|प्रफोर्मा-1 में धारा 32,33,34,72 का मासिक ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाता है,प्रफोर्मा-2 में लोकायुक्त प्रकरण,आर.टी.आई.प्रकरण, विधानसभा प्रकरण,उच्चाधिकारियों से प्राप्त परिवाद,न्यायालय में लंबित प्रकरणों का मासिक ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाता है वहीँ प्रफोर्मा-3 में चालू माह में दिए गए नोटिसों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाता है|

आपको बताते है कि प्रवर्तन शाखा में पारदर्शिता और जवाबदेही के क्या हाल है?सुचना के अधिकार के तहत क्या जवाब देते है और कैसे अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की मोनिटरिंग की जाती है?

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए विस्तृत आदेश में अवैध निर्माणों के विरुद्ध स्वप्रेरणा से(शिकायत नहीं होने के बावजूद अथवा गश्त के दौरान) पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही से प्रेरित होकर सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश दिए है|परन्तु इसका उल्टा ऐसे अधिकारी ना तो स्वप्रेरणा से कोई कार्य करते है बल्कि

शिकायत आने पर कुछ ले-देकर उसे रफा-दफा करने की कोशिश करते है|इतना ही नहीं शिकायतकर्ता की गोपनीयता को भी अवैध निर्माणकर्ता के सामने उजागर कर देते है,कई मामलों में विद्वान् लोक सुचना अधिकारी ऐसे मामलों में सुचना के आवेदन पर तृतीय पक्ष का सहारा लेकर एक तो सुचना नहीं देते बल्कि अवैध निर्माणकर्ता को थर्ड पार्टी की आड़ में सुचना देकर, आवेदक की जान और जोखिम में डाल देते है|

इस सन्दर्भ में हमारे द्वारा जे.डी.ए. के सभी 16 जोनों के प्रवर्तन अधिकारियों से सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 13 बिन्दुओं की सूचनाएं मांगी गयी,जिसमे मासिक गोस्वारा रिपोर्ट,साप्ताहिक रिपोर्ट,विगत 3 साल में सील/ध्वस्त किये गए प्रकरणों की जानकारी,सील मुक्त किये गए प्रकरणों की जानकारी के साथ साथ सम्बंधित प्रवर्तन अधिकारियों से विरुध्द दर्ज अपराधिक प्रकरणों,उनके आज तक के कार्यकाल में मिले सम्मानों की जानकारी चाही गयी थी|

परन्तु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी 16 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किसी बिंदु की पूर्ण जानकारी नहीं दी गयी,पारदर्शिता और जवाबदेही से सम्बंधित सूचनाओं को तो संधारित ही नहीं होना बता कर देने से मना कर दिया ,किसी भी प्रवर्तन अधिकारी का इतना साहस नहीं हुआ कि वह अपने कार्यकाल में किये गये बहादुरी,ईमानदारी के किस्सों का बखान कर सके या उसके विरुद्ध अनियमितता/भ्रष्टाचार/लापरवाही के लिए मिले नोटिसों/चार्जशीटो को बता सके,इन सवालों के ना तो जवाब दिए और नाहीं सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत पुलिस मुख्यालय में हस्तांतरित किये गए|इन सभी 16 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एक जैसे जवाब दिए गए है,जिससे प्रतीत होता है कि किस प्रकार सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत सुचना के अधिकार का गला घोंटकर, पारदर्शिता और जवाबदेही को जिन्दा दफ़न करने की कोशिश की जा रही है|इन 16 प्रवर्तन अधिकारियों के जवाब से सवाल उठता है कि जब इनके कार्यालयों से साप्ताहिक या मासिक रिपोर्ट ही नहीं भेजी जाती तो मोनिटरिंग क्या खाक होगी?

जे.डी.सी. साहब आप केवल अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दीजिये,देखना कैसे RTI आवेदन ,शिकायते कम होती है|

जे.डी.सी. साहब द्वारा अपने प्रेस नोट में ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बात कही है जो कि स्वागतयोग्य है,परन्तु इस ऑनलाइन सिस्टम को निरंतर अपडेट करना एक असंभव सी बात है जैसे कि जे.डी.ए. की वेबसाइट पर कई सूचनाये है जिनको निरंतर अपडेट किया जाना होता है परन्तु आज दिनांक तक इन लिंक्स पर पुराने डेटा उपलब्ध है,जैसे कि सुचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) , अप्रूव्ड बिल्डिंगों की सूची आदि|इस सिस्टम की खामी यह होगी कि जिम्मेदारों द्वारा 10 में से 2 की रिपोर्ट डाली जाएगी बाकी गायब,कर दी जाएगी अब मांगते रहिये सुचना और करते रहिये शिकायतें|

यदि जे.डी.सी. साहब वाकई में सुधार चाहते है तो वह केवल अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर देवें,फिर देखिये कैसे RTI आवेदन ,शिकायते कम होती है|क्यूंकि अधिकांश शिकायते अवैध निर्माणों से सम्बंधित होती है जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर, परेशान व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की जाती है और सुचना आवेदन प्रस्तुत किये जाते है|

पुलिस में खबर देने वाला मुखबिर,जिसे इनाम मिलता है लेकिन जे.डी.ए. में अवैध निर्माण कि खबर देने वाला आदतन शिकायतकर्ता,जिसे ना तो इनाम मिलता है बल्कि भू -माफिया से दुश्मनी और मोल लेनी पड़ती है|

जैसा कि आप जानते है हर थाने का एक मुखबिर तंत्र होता है जो कि अपराधियों के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी देता है,इस काम के लिए उसे इनाम भी दिया जाता है|परन्तु वही जे.डी.ए. में अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की सुचना देने वाले को गलत निगाहों से देखा जाता है और उसे आदतन शिकायतकर्ता बता कर तिरस्कृत किया जाता है,इतना ही नहीं इन शिकायतकर्ताओं की पहचान/जानकारी भी सम्बंधित भू-माफिया को उपलब्ध करवा दी जाती है जिससे शिकायतकर्ता की जान आफत में पड़ जाती है|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

सूचना का अधिकार

क्रमांक:–जविप्रा/प्र.अ./ जोन–4/2020/डी–84 दिनांक:– 5/10/20

श्री ज्ञानेश कुमार,
पता:– भू.सं.–एस–1, द्वितीय फ्लोर झारखण्ड अपार्टमेंट,
सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग,
खातीपुरा, जयपुर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाहने बाबत।
संदर्भ :– नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर में दर्ज पंजीयन क्रमांक संख्या–173574 दिनांक – 11/09/2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 14.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दुवार सूचना चाही गई जो निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	जोन–4 के वर्तमान अधिकारी का नाम, रैंक बताने का श्रम करें।	श्री विनोद निरीक्षक पुलिस हॉल प्रवर्तन अधिकारी जोन– 4 जविप्रा, जयपुर।
2	वर्तमान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जोन –4 का कार्यभार संभालने की दिनांक बताने का श्रम करें।	जोन– 4, का कार्यभार संभालने की दिनांक 24/8/20 ..... ।
3	वर्तमान प्रवर्तन अधिकारी की जेडीए में आने से पहले जिस थाने/विभाग में पदस्थापित थे उसकी जानकारी देने का श्रम करें।	उक्त सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है।
4	आपको पुलिस विभाग से जेडीए में लाने हेतु अनुशंसा/सिफारिश करने वाले नेता/अधिकारी का नाम, पदनाम एंव सम्बधिंत अनुशंसा / सिफारिश पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	ऐसी कोई सूचना नहीं है।
5	वर्तमान प्रवर्तन अधिकारी को उनके आज तक (पुलिस विभाग में तैनातगी के दौरान) के कार्यकाल में अनियमतता/भ्रष्टाचार/लापरवाही के लिये मिले नोटिसों/चार्जशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	इस प्रकार की कोई सूचना अस्तित्व में नहीं है।
6	वर्तमान प्रवर्तन अधिकारी को उनके आज तक पुलिस विभाग में तैनातगी के दौरान के कार्यकाल में उनकी बहादुरी/शुद्धमंशा/कर्त्तव्यपरायणता/परदर्शिता के लिये मिल अनुशंषा/शाबासी/प्रशस्ति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	इस प्रकार की कोई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अभिलेख का भाग नहीं है।
7	कृपया 1 जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की जोन–4 की गोस्वारा रिपोर्ट के प्रफोर्मा 1, 2, 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	इस रूप में कोई सूचना संधारित नहीं है।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जे.डी.ए. के सभी 16 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मेरे सुचना आवेदन के सम्बन्ध में दिए गए उटपटांग जवाब की प्रति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

सूचना का अधिकार

8	कृपया 1 जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की जोन– 4 की अपने उच्च अधिकारियों को भेजे जाने वाली साप्ताहिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	साप्ताहिक रिपोर्ट नही भेजी जाती है इस तरह की सूचना अस्तित्व में नही है।
9	कृपया 1 जनवरी 2020 से आज दिनांक तक ऐसे समस्त सूचना आवेदनों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें जिसमें तृतीय पक्ष अथवा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की आड लेकर सूचना नहीं दी गई है।	इस रूप में सूचना का कोई अस्तित्व में नही है इसलिए कोई सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
10	कृपया 1 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक आपके द्वारा जोन– 4 में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33, 34 फर्द सील की कार्यवाहियों की जानकारी मय दस्तावेज देने का श्रम करें।	सूचना विशिष्टियों रहित है इसीलिये किसी प्रकार की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।
11	कृपया 1 जनवरी 2017 से आज दिनांक तक आपके द्वारा जोन– 4 में उन इमारतों/भूखण्डो की जानकारी मय दस्तवेज देने का श्रम करें जिनकी सील खोलने के आदेश श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा फरमावे गए।	जिस रूप में सूचना चाही गई है उस रूप में पृथक से कोई संधारण नही किया जाता है।
12	प्रवर्तन अधिकारी रहते अपने कार्यकरण में पादर्शिता और जवाबदेही के सम्बंध में स्वयं/विभाग द्वारा तय किये मानदण्डों/पैमानों की जानकारी मय सम्बंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	सूचना विशिष्टियों रहित है इसीलिये किसी प्रकार की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है।
13	मेरे इस सूचना आवेदन में आपकी सहायता करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पदनाम बताने का श्रम करें, क्योकिं उन्हें भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।	प्रवर्तन अधिकारी के कार्यालय के लिये किसी प्रकार की सूचना अस्तित्व में नही है।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
प्रवर्तन अधिकारी, जोन– 4

प्रतिलिपिः–

नागरिक सेवा केन्द्र में दर्ज पंजीयन क्रमांक–173591, दिनांक – 14.09.2020 के क्रम में। सूचनार्थ।

लोक सूचना अधिकारी

जे.डी.ए. के सभी 16 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मेरे सुचना आवेदन के सम्बन्ध में दिए गए उटपटांग जवाब की प्रति

श्री सुरेन्द्र सिंह
प्रवर्तन अधिकारी जोन–13 Month-April

प्रकरण–गोस्वारा
(प्रोफार्मा–1)

शिकायतो का प्रकार	पिछले माह के शेष	नवीन माह मे जारी	कुल	कुल निस्तारण	माह मे शेष	विवरण ध्वस्तीकरण / चालान / स्टे
धारा–32 जविप्रा अधिनियम	nil	01	01	nil	nil	निदेशक आनन्द ऐज्युकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट कानोता थाना आगरा रोड जयपुर।
धारा–33	nil	nil	nil	nil	nil	nil
धारा–34	nil	nil	nil	nil	nil	nil
धारा–72	nil	nil	nil	nil	nil	nil

प्रवर्तन अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी जोन–13
जविप्रा,जयपुर

श्री सुरेन्द्र सिंह
प्रवर्तन अधिकारी जोन–13 month-april

प्रकरण–गोस्वारा
(प्रोफार्मा–2)

शिकायतो का प्रकार	पिछले माह के शेष	माह मे नवीन प्राप्त	कुल	निस्तारण	शेष	विवरण
लोकायुक्त प्रकरण	nil	02	02	nil	02	जवाब भिजवाया जाना है।
आर टी आई प्रकरण	1	nil	1	nil	nil	nil परि· को शुल्क जमा कराने हेतु पत्र जारी।
विधानसभा प्रकरण।	nil	01	01	01	nil	14 वी विधानसभा के अष्ठम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 473 द्वारा श्री घनश्याम महर माननीय सदस्य राज0 विधानसभा, जवाब भिजवाया गया।
उच्चाधिकारियो से प्राप्त परिवाद	nil	10	10	1	nil	पत्रावलीयां चिन्हीकरण हेतु उपायुक्त जोन–13 भेजी गई है।
न्यायालय से प्राप्त परिवाद	nil	nil	nil	nil	nil	nil

प्रवर्तन अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी जोन–13
जविप्रा,जयपुर

श्री सुरेन्द्र सिंह
प्रवर्तन अधिकारी जोन–13
month-april

प्रकरण–गोस्वारा
(प्रोफार्मा–3)

क्र. सं.	नोटिस जिसके नाम जारी मय पता	धारा	दिनांक	संक्षिप्त विवरण	निस्तारण व विवरण
1.	निदेशक आनन्द एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट कानोता आगरा रोड, कानोता जयपुर।	32	26-04-19	ऐकेडमिक बिल्डिग एवं हास्टल बिल्डिग के बीच के पार्किंग एरिया को गार्डन व वालीबाल कोर्ट के रूप मे उपयोग लिया जा रहा है. हॉस्टल के साईड मे पार्किंग एरिया को गार्डन के रूप मे उपयोग लिया जा रहा है। सैट–बैक मे मौके पर पार्किंग के स्थान पर कुछ जगह पर वर्क्स रूम लैट–बाथ, टीने शैड का निर्माण।	nil

प्रवर्तन अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी जोन–13
जविप्रा,जयपुर।

प्रवर्तन शाखा–साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट
दिनांक 01/04/2019 से दिनांक 07/04/2019 तक

क्र.सं.	विषय	संख्या		विवरण
		पेन्डिग	निस्तारण	
1.	ध्वस्तीकरण	nil	nil	nil
2.	सीलिंग	nil	nil	nil
3.	सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त	nil	nil	nil
4.	नोटिस अन्तर्गत धारा 32, 33, 34, 72, जेडिए एक्ट	nil	nil	nil
5.	डी.टी.एस.	04	nil	डीटएस प्रकरण सख्या 94978,94994,94996,94977,
6.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल	02	nil	
7.	लोकायुक्त / मानवाधिकार प्रकरण		01	परिवाद श्री रामकरण मीणा
8.	न्यायिक प्रकरण–जवाब पेश	nil	nil	nil
9.	अवमानना प्रकरण	nil	nil	nil
10.	विधानसभा प्रश्न	nil	nil	nil
11.	सूचना का अधिकार	01	nil	ग्राम रिसाणी के खसरा नं. 312 मे मु. रास्ता पर हटाये गये अतिकमण की सूचना चाही गई है।
12.	जुर्माना	nil	nil	nil
13.	चालान	nil	nil	nil

प्रवर्तन अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी जोन–13
8/4/19

जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारीयों द्वारा भरी जाने वाली मासिक गोस्वारा रिपोर्ट और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट ,जिसे सभी 16 प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा देने से मना कर दिया गया|

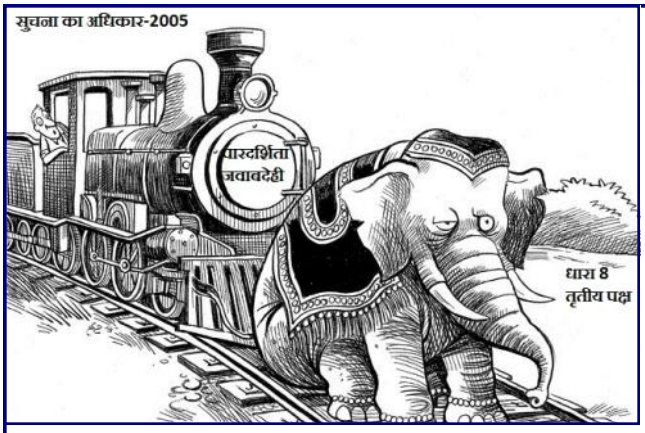

पुलिस का काम कानून की पालना ना कि नए कानून बनाना

पिछले कुछ सालों में जबसे एक ख़ास अधिकारी द्वारा जे.डी.ए. प्रवर्तन के महत्वपूर्ण पद पर कब्ज़ा किया गया है लगता है जैसे की प्रवर्तन शाखा को पेरेलेसिस हो गया है|नित नये कानून लगा कर काम नहीं करने के बहाने ढूंढे जाते है|16 के 16 जोनो के प्रवर्तन अधिकारीयों को एक खेत पर बसी कोलोनी को ढहाने के लिए भेज दिया जाता है,केवल फेब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंसी से काम चलाया जा रहा है,वही आंकड़े मिडिया में प्रस्तुत किये जा रहे है जो कि अच्छे लगते हो,ऐसी सूचनाओं,जिनसे विभाग की पोलपट्टी खुलती हो देने से मना कर दिया जाता है|जिसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि कैसे 16 प्रवर्तन अधिकारीयों द्वारा सुचना के नाम पर एक ही रटे-रटाये जवाब दिए है,सूत्रों के अनुसार इन 16 अधिकारीयों द्वारा यह जवाब अपने आला अधिकारी के कहने पर ही दिए गए है,जिससे विभाग की असलियत बाहर ना जा सके|सूत्रों का तो यह भी कहना है कि अभी नये आये सभी प्रवर्तन अधिकारी इन महाशय की सिफारिशों पर ही जे.डी.ए. में लगाये गए है,जिससे की कोई अधिकारी इनके खिलाफ आवाज नही उठा सके|पुलिस का काम केवल कानून की पालना करवाना है नए कानून बनाना नहीं है,परन्तु यह महाशय तो नित नए कानून बना कर हमारे संविधान से भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहे है|जो कि आज के लोकतंत्र में सहनीय नहीं है|हमारे लोकतंत्र में निरंकुश,तानाशाही की कोई जगह नहीं है,हमने हमारे लोकतंत्र का इतिहास देखा है जिसमे कद्दावर मुख्यमंत्री और प्रधानमन्त्री तक को जनता के विरोध के कारण अपनी सीट छोडनी पड़ती है फिर जनता के आगे उनके रिश्तेदार कहाँ टिकते है|यदि इसी तरह के तानाशाही कानूनों से जनता को परेशान किया जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आम जनता हाथों में पत्थर,लाठियां लेकर जे.डी.ए. के भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाएगी|

जवाब मांगते सवाल

1. आखिर क्यों आपके द्वारा प्रवर्तन अधिकारीयों के कार्यकरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ली जाने वाली मासिक(गोस्वारा,प्रफोर्मा-1,2,3) और साप्ताहिक रिपोर्ट की प्रक्रिया बंद कर दी गयी है?यदि इसकी जगह कोई और प्रक्रिया चलन में लायी गयी है तो उसका खुलासा क्यूँ नहीं किया जा रहा है?क्यूँ उस तथाकथित प्रक्रिया को गोपनीय रखा जा रहा है?
2. प्रेस नोट के अनुसार प्रवर्तन शाखा द्वारा एक वर्ष में 1091ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की है,क्या महोदय बताने का श्रम करेंगे कि उनके पास एक वर्ष में कितनी शिकायते आई?
3. क्या इन सभी प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड(संपर्क द्वारा,चिट्ठियों द्वारा,जन सुनवाईयों में प्राप्त प्रकरणों,आदि) का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है?
4. इन शिकायतों में से कितनों को धारा 32,33,34,72 के तहत नोटिस दिए गए?
5. इनमें से कितने मामले जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल में लंबित है?कितनों पर निर्णय आ गया है परन्तु कार्यवाही नहीं हुई है?
6. एक वर्ष में कितने प्रवर्तन अधिकारियों को लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में हटाया गया?
7. विगत एक साल में डी.टी.एस.प्रकरण,राजस्थान संपर्क पोर्टल,लोकायुक्त/मानवाधिकार प्रकरण,न्यायिक प्रकरण-जवाब पेश,अवमानना प्रकरण,विधानसभा प्रश्न,सुचना का अधिकार,जुर्माना,चालान की क्या स्थिति रही है?
8. शहर की गली मोहल्लों में नासूर बन रही आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के क्या प्रयास किये गए?